

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(14)वित्त/कर/2020

जयपुर, दिनांक 08.10.2020

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2020-21 की दिनांक 29.09.2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक आयुक्तों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उपायुक्त के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्त उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	रिक्त दिनांक
1.	श्री सुनील खण्डेलवाल		01.04.2020
2.	श्री महेन्द्र सिंह कविया		01.04.2020
3.	श्री राजीव कुमार		01.04.2020
4.	श्री अखेदान चारण		01.04.2020
5.	श्री मोहन लाल मीणा-I	अजजा	01.04.2020
6.	श्री रामप्रसाद	अजा	01.04.2020
7.	श्री निहाल चन्द विश्नोई		01.04.2020
8.	श्री महेश कुमार		01.04.2020
9.	श्री विक्रम सिंह बारेठ		01.04.2020
10.	श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी		01.04.2020
11.	श्री मेधाराम सेणचा		01.04.2020
12.	श्री शिशुपाल सिंह	अजा	01.04.2020
13.	श्री रविन्द्र कुमार		01.04.2020
14.	श्री रजनीकान्त कस्वां		01.02.2021

क्रम संख्या 1 से 13 पर अंकित अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहें एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

निम्नलिखित अधिकारियों के प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गई :-

क्र.सं.	नाम
1.	श्री जे.पी.मीणा
2.	श्रीमती अनुसूया कुमारी

निम्नलिखित अधिकारियों के सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति ने इनके प्रकरण आस्थगित (डेफर) करते हुए पद रिक्त रखे जाने की अभिशंषा की है :-

क्र.सं.	नाम
1.	श्री प्रेमचन्द वर्मा
2.	श्री महिपाल सिंह
3.	श्री शिवचन्द
4.	श्री धनंजय सिंह
5.	श्री पूरणमल



6.	श्री विनोद मेहता
7.	श्री शशिभूषण
8.	श्री बलवन्त सिंह
9.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड
10.	श्री दिनेश कुमार रंगा
11.	श्री राघवेन्द्र सिंह यादव

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-
(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)